



देश के लिए.....अव्यवस्था के खिलाफ.....

# जवाब दो!!!सरकार...

www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या -2020/MMP/10

E-Newsletter, Issued in Public Interest

सोमवार, 10 फरवरी 2020



भूखंड संख्या B-1/564-A, अक्षरधाम मंदिर चौराहा, चित्रकूट, वैशालीनगर, जयपुर पर बिना अनुमति बन गया अवैध कोम्प्लेक्स श्याम टावर " भंवर राठोड डिजाइन स्टूडियो"



भूखंड संख्या B-1/564-A, चित्रकूट, जयपुर पर हो रहे निर्माण की पूर्व की तस्वीर



इस भूखंड पर वर्तमान में चल रहा भंवर राठौड डिजाइन स्टूडियो

## शिकायत की प्रथम रिपोर्ट

1.	भूखंड का पता	B-1/564-A, अक्षरधाम मंदिर चौराहा, चित्रकूट, वैशालीनगर, जयपुर
2.	संचालित व्यावसायिक प्रतिष्ठान का नाम	व्यवसायिक कोम्प्लेक्स
3.	क्या जे.डी.ए. द्वारा इस बिल्डिंग को व्यावसायिक निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी है?	जानकारी हेतु सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन किया गया है।
4.	क्या इस भवन के जे.डी.ए. द्वारा भवन मानचित्र स्वीकृत किये जाकर, सेटबैक नियमों का पालन किया जा रहा है?	जानकारी हेतु सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन किया गया है।
5.	क्या भवन का यू.डी.टेक्स जमा है?	जानकारी हेतु सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन किया गया है।
	क्या भवन की लीज मनी जमा है?	जानकारी हेतु सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन किया गया है।
6.	उल्लंघन की प्रकृति	बिना अनुमति, बिना सेटबैक छोड़े आवासीय भूखंड पर व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन
7.	सम्बंधित ज़ोन	ज़ोन-7
8.	कार्यवाही हेतु सक्षम अधिकारी (प्रवर्तन स्तर पर)	प्रवर्तन अधिकारी; श्री कैलाश चौधरी
9.	सक्षम अधिकारी को शिकायत प्रेषण दिनांक	10/02/2020

## जवाब मांगते सवाल?

- क्या भूखंड मालिक द्वारा विधिक रूप से इस भूखंड का व्यावसायिक गतिविधियां हेतु भू-उपयोग परिवर्तन करवा लिया गया है?
- क्या भूखंड मालिक द्वारा जे.डी.ए. से व्यावसायिक उपयोग हेतु मानचित्र अनुमोदित करवा कर निर्माण करवाया गया है?
- क्या भूखंड मालिक द्वारा जे.डी.ए. विनियमों के अनुसार सैटबैक मापदंडों का पालन किया गया है?
- क्या भूखंड मालिक द्वारा भूखंड की एक मुश्त/वार्षिक लीज मनी जमा करवा दी गयी है?
- क्या भूखंड मालिक द्वारा भूखंड का यू.डी. टेक्स जमा करवा दिया गया है?
- इस बिल्डिंग के अवैध होने की स्थिति में जे.डी.ए. को व्यावसायिक रूपांतरण शुल्क, यू.डी. टेक्स, लीज मनी व अन्य शुल्कों के रूप में होने वाली राजस्व आय के नुकसान का जिम्मेदार कौन है?
- किस प्रवर्तन अधिकारी के कार्यकाल में इस बिल्डिंग का निर्माण शुरू हुआ था?
- यदि जे.डी.ए. विनियमों के उल्लंघन के अनुसार यह बिल्डिंग अवैध है तो क्या यह माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट पिटीशन 1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राजस्थान मामले में दिए गए आदेशों की अवमानना नहीं है?